रजिस्टर्ड ए.डी
आदेश का प्रारूप

पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ...

//आदेश//

क0 दिनांक........................

प्रति,

श्री ....,
....
....

विषयः–पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ... में **व्याख्याता, अंग्रेजी** (तकनीकी) के रिक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में।

–:0:–

पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ... **की शासी निकाय** के अध्यक्ष द्वारा **व्याख्याता, अंग्रेजी (तकनीकी)** के रिक्त पदों पर मध्यप्रदेश **लोक सेवा आयोग** से प्राप्त चयनित उम्मीदवारों की सूची का अनुमोदन प्रदान किया गया है। तद्नुसार आपको पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ... में **व्याख्याता, अंग्रेजी (तकनीकी) के पद पर** वेतनमान रू. 8,000–275–13,500 (एआईसीटीई) में मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा पोलीटेकनिक **महाविद्यालय** (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भर्ती) नियम, 2004 की निम्न शर्तो के अध्यधीन संविदा **नियुक्ति** पर नियुक्त किया जाता है:–

(1) संविदा पर नियुक्ति 03 वर्ष की कालावधि के लिये की गई है। इस कालावधि के पूर्ण होने पर, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित अनुमोदन प्रकिया के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आपके कार्य का पुनर्विलोकन किया जाएगा तथा उपयुक्त पाये जाने पर ही नियमित नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

(2) आपका आचरण समय–समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा।

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्याख्याता को पेंशन तथा उससे संबंधित अन्य लाभ की पात्रता नहीं होगी।

(4) आपकी सेवाएं किसी भी पक्ष द्वारा एक मास की सूचना या उसके स्थान पर एक मास के वेतन का भुगतान करने पर संविदा अवधि समाप्त होने के पूर्व भी समाप्त की जा सकती है।

(5) आपको राज्य शासन के कर्मचारियों के समान चिकित्सा सुविधा तथा यात्रा भत्ता की पात्रता होगी।

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त व्याख्याता राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित अंशदायी भविष्य निधि योजना के लाभ का भी हकदार होगा।

(7) संविदा पर नियुक्त व्याख्याता को केवल एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिन का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। संविदा की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् नियमित नियुक्ति होने पर ऐसे समस्त अवकाश लाभों की पात्रता होगी, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को लागू है।

(8) संविदा/नियमित आधार पर नियुक्त व्याख्याता ऑल इंडिया काउंसिल फार टेक्नीकल एज्यूकेशन के सन्नियमों के अनुसार उच्च अर्हता धारण करने के लिये प्रोत्साहनों का हकदार होगा।

2/ आपको कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अपने समस्त मूल दस्तावेजों को, जिनकी छायाप्रतियां चयन के समय आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये है, संस्था प्रमुख को प्रस्तुत कर

...............2

उनका सत्यापन करवाना अनिवार्य है। समस्त प्रमाण–पत्र/दस्तावेज सही पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति संबंधित संस्था के प्राचार्य द्वारा दी जाएगी।

3/ यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन एवं जाति प्रमाण–पत्र (जहाँ लागू है) के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते है एवं जाति प्रमाण–पत्र वैद्य नहीं पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

4/ कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् एक माह के भीतर सक्षम प्राधिकारी (चिकित्सा मंडल) से निर्धारित प्रारूप में स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

5/ आपको पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ... में दिनांक.......................... तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह आदेश स्वमेव ही निरस्त हो जाएगा।

6/ यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट याचिका कमांक 626/2005 में पारित आदेश दिनांक 20 मई, 2006 के अनुसार माननीय न्यायालय के प्रकरण में अंतिम आदेश के अध्यधीन जारी किया जाता है।

पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ... की
शासी निकाय के अध्यक्ष के नाम से
तथा आदेशानुसार

( )
प्राचार्य एवं सदस्य सचिव
पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ...

पृ0क0 दिनांक..................
प्रतिलिपिः–
निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषितः–

01. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
02 निज सचिव, मान. मंत्री, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मंत्रालय, भोपाल।.
03. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
04. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेन्सी एरिया, डेली कालेज रोड, इंदौर–452001 की ओर उनके पत्र कमांक **38757/91/2005/चयन, दिनांक 15.01.2009** के संदर्भ में।
05. संचालक, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
06 कोषालय अधिकारी, नगर कोषालय, ...(म.प्र.)।
07. स्टाक फाईल।

प्राचार्य एवं सदस्य सचिव
पोलीटेकनिक महाविद्यालय, ...